



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3995]

नई दिल्ली, सोमवार, अक्टूबर 8, 2018/आश्विन 16, 1940

No. 3995]

NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 8, 2018/ASVINA 16, 1940

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 अक्टूबर, 2018

**का.आ. 5180(अ).**—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (46) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्वारा उक्त खंड के उद्देश्य की पूर्ति हेतु 'उत्तरांचल बोर्ड ऑफ टेकनिकल एजुकेशन' जोकि स्टेट एक्ट उत्तरांचल बोर्ड ऑफ टेकनिकल एजुकेशन एक्ट, 2003 के अंतर्गत गठित बोर्ड है, को उसे होने वाली विनिर्दिष्ट आय के संबंध में अधिसूचित करती है जिस का ब्यौरा निम्नलिखित है:-

- (क) सरकार/सरकारी निकायों से प्राप्त अनुदान/ आर्थिक सहायता;
- (ख) उत्तरांचल बोर्ड ऑफ टेकनिकल एजुकेशन एक्ट, 2003 के प्रावधानों के अनुसार संग्रहीत शुल्क, जुर्माना तथा शास्तियां
- (ग) मुद्रित आवेदन फार्मों तथा शैक्षिक सामग्री के विक्रय से प्राप्ति;
- (घ) स्क्रेप के विक्रय तथा परिसम्पत्तियों के निदान से आय;
- (ङ) जायदाद से प्राप्त किया गया किराया;
- (च) तकनीकी ज्ञान तथा अवसंरचना प्रदान करने के लिए लाइसेंस शुल्क या रांयल्ली;
- (छ) उपरोक्त (क) से (च) तक पर कमाया गया ब्याज।

2. यह अधिसूचना इन शर्तों के अध्यक्षीन प्रभावी होगी कि उत्तरांचल बोर्ड ऑफ टेकनिकल एजुकेशन' -
- (क) किसी भी व्यावसायिक गतिविधि में शामिल नहीं होगा;
- (ख) विनिर्दिष्ट आय के संबंध में क्रियाकलाप और विशेष आय की प्रकृति, वित्तीय वर्षों के दौरान अपरिवर्तित रहेगी; और
- (ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139 की उपधारा – 4(ग) के खंड (छ) के प्रावधान के अनुसार आय की विवरणी दायर करेगा।
3. यह अधिसूचना निर्धारण वर्ष 2018-19 के लिए लागू समझी जाएगी और निर्धारण वर्ष 2019-20, 2020-21, 2021-22 तथा 2022-23 के लिए लागू होगी।

[अधिसूचना सं. 66 /2018 फा. सं. 300196/32/2018-आईटीए-1]

विनय शील गौतम, अवर सचिव

**व्याख्यात्मक ज्ञापन:-** यह प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिसूचना को भूतलक्षी प्रभाव से लागू किए जाने से कोई भी व्यक्ति प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं होगा।